न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ. वीना प्रधान, आई.ए.एस. संभागीय आयुक्त अजमेर)

क्रमांक/एफ–3/कोर्ट/संआ/वि.अ./85/2021/भीलवाड़ा (2021/85)

विभागीय अपील द्वारा श्री अनिल शर्मा पटवारी, तत्कालीन पटवारी नयानगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा हाल पटवारी हल्का पालूकलां तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ने जिला कलक्टर भीलवाड़ा के दण्डादेश क्रमांक प.1ख18(1)(05)/भू.अ. विजां/2014/71534–44 दिनांक 09.08.2016 जिसमे "कार्मिक की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव (One increments Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है " के विरूद्ध अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत प्रस्तुत की गई।

उपस्थित :–श्री अनिल शर्मा पटवारी, तत्कालीन पटवारी नयानगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा हाल पटवारी हल्का पालूकलां तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ।

निर्णय

दिनांक 26/10/2021

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश आदेश क्रमांक प.1ख18(1)(05)/भू.अ.विजां/2014/71534–44 दिनांक 09.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16के अन्तर्गत अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 18.07.2014 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा जारी किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये:–

आरोप संख्या 01 :–

यह है कि आप द्वारा कर्तव्य निर्वहन के दौरान आमजन/काशतकारों के उचित व्यवहार नही किया जाकर राजकार्य किये जाने की ऐवज में रिश्वत की मांग किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। इस आरोप की पुष्टि ग्राम पंचायत नयानगर के सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2014 से होती है। जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र संख्या एक में अंकित है।

आरोप संख्या 02 :–

यह है कि उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां द्वारा आपके प0म0 नयानगर का दिनांक 21.01.2014 को निरिक्षण किया गया था। वक्त निरिक्षण उपखण्ड अध्किारी द्वारा आप के पास विभिन्न मदों से प्राप्त राजकीय आय राज्य कोष में जमा करवाये जाने का प्रमाण प्रस्तुती हेतु निर्देशित किये गये थे। बावजुद निर्देश के आप द्वारा कोई प्रमाण पेश नही किया गया। परन्तु तत्पश्चात तहसील कार्यालय/उपलब्ध लेखों से स्पष्ट है कि आप द्वारा प्राप्त राजकीय आय प्रतिमाह पटवारियान की मिटींग के समय जमा नही कराई जाकर आप

Scanned with CamScanner

द्वारा कर्तव्य के प्रति गंभीर अनियमितता की है। जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र संख्या दो में अंकित है।

आरोप संख्या 03 :–

यह है कि राजकीय सेट–ए–पार्ट भूमि पर अवैध खनन कर्ताओ द्वारा जगह जगह अनाधिकृत मलबा डाला पाया गया इस हेतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 21.01.2014 वक्त निरीक्षण तहसीलदार बिजौलियां एवं आई0एल0आर0 सलावटियां की मौजूदगी में स्थल चिन्हित कर कर्तव्योंतर आचरण की ओर आप का ध्यान आकुष्ट किया गया। उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत नही कर कर्तव्यों की उपेक्षा किये जाने के कारण आप को तहसीलदार बिजौलियां द्वारा धारा 91 की रिपोर्ट पेश नहीं किये जाने से कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया है। फिर भी आप द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत नही की प्रतीत होता है कि आप सेट–ए–पार्ट भूमि तथा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिचारियों के विरूद्ध कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही कर अतिचारियों के साथ संलिप्तिता होकर राज्य हितो के विपरित आचरण किया है। कुछ लीजों में अंकित भूमियों में से कुछ खसरा नम्बर न्यायालय उपखण्ड अध्किारी माण्डलगढ के निर्णय से बिलानाम हो जाने से लीज का क्षेत्रफल 4 हैक्टर से कम हो जाने के फलस्वरूप लीज निरस्त हों जाती है। लेकिन बिलानाम हो चुकी जमीन पर अवैध खनन शिकायते मिली है, आप ने उक्त आराजी बाबत कोई भौतिक सत्यापन नहीं कर मौके स्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं करवाया तथा अवैध खननकर्ता के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की हैं। इस प्रकार आपने राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर गंभीर लापरवाही की है। जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र संख्या तीन में अंकित है।

आरोप संख्या 04 :–

यह है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 21.01.2014 को वक्त निरीक्षण पाया गया कि आप द्वारा नयानगर मुख्यालय पर निवास नही कर अन्यत्र निवास किये जाने से आम जनता को रोजमर्रा के कार्यो में कठिनाई उत्पन्न होती है। स्वयं आप द्वारा भी वक्त निरीक्षण तहसीलदार बिजौलियां एवं भू0अ0नि0 सलावटियां के सम्मुख स्वीकार गया है कि आप नयानगर के बजाय अन्यत्र निवास करते है, इस हेतु गाम पंचायत नयानगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2014 से भी इस आरोप की पुष्टि होती है। जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र संख्या चार में अंकित है।

आरोप संख्या 05 :–

यह है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 21.01.2014 को वक्त निरीक्षण पाया गया है कि आप द्वारा आपके पटवार मण्डल की फसल रबी सम्वत 2014 के अतिक्रमण की रिपोर्ट वक्त निरिक्षण तक पेश नही की जाकर कर्तव्यों के प्रति लापरवाही का प्रतीक है। जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र संख्या पांच में अंकित है।

Scanned with CamScanner

आरोप संख्या 06 :–

यह है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 21.01.2014 को वक्त निरीक्षण पी–21(नामान्तरकरण पंजिका) तहसील कार्यालय बिजौलियां में जमा योग्य द्वितीय परत बाबत कोई प्रमाण/प्राप्ति रसीद पेश नही की हैं। जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र संख्या छह में अंकित है।

आरोप संख्या 07 :–

यह है कि आपके प0म0 नयानगर के सभी ग्रामों का सम्वत 2068 का रेकार्ड 31 अक्टूम्बर तक आफिस कानूनगो के पास जमा होना चाहिये था। किन्तु आप द्वारा उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 21.01.2014 के वक्त निरिक्षण तक सम्वत 2068 का रेकार्ड तहसील कार्यालय में जमा नहीं कराया जो अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र संख्या सात में अंकित है।

आरोप संख्या 08 :–

यह है कि उपखण्ड अधिकारी के निरीक्षण दिनांक 21.01.2014 तक आप द्वारा विभिन्न प्रमाण पत्रों में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुति योग्य रिपोर्ट संबंधित पंजिका का संधारण नहीं किया गया है। जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र संख्या आठ में अंकित है।

आरोप संख्या 09 :–

यह है कि उपखण्ड अधिकारी के निरीक्षण दिनांक 21.01.2014 के वक्त निरीक्षण पाया कि आप द्वारा पटवार मण्डल नयानगर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम गोलमगढ़ के खसरा चौसाला 2070–73 में सम्वत् 2069 से मिलान खसरे की छंटनी का कार्य निष्पादन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि आप द्वारा फर्जी मिलान खसरा तैयार कर तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किया है जो कि गंभीर अनियमितता का द्योतक है। जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र संख्या नौ में अंकित है।

अपीलार्थी को उपरोक्त आरोप पत्र की तामिली जरिये तहसीलदार जहाजपुर दिनांक 08.08.2014 को करवाई जाकर 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अपीलार्थी का प्रत्युत्तर तहसीलदार जहाजपुर के माध्यम से जिला कलक्टर भीलवाडा को दिनांक 14.05.2015 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी ने लिखित अभिकथन में आरोपों को अस्वीकार किया जाकर विचाराधीन विभागीय जांच ड्रोप करने का निवेदन किया। प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक प. 1ख18(1)(1)भू.अ./विजां/2015/67588 दिनांक 02.06.2015 से उपखण्ड अधिकारी मांडलगढ़ को जांच अधिकारी एवं अभियोजन पक्ष के लिये नायब तहसीलदार बिजौलियां को सरकारी पेरोकार नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी मांडलगढ़ ने प्रकरण की विस्तृत जांच कर जांच प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2015 को जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार आरोप संख्या 2.4.5.6 को

Scanned with CamScanner

आंशिक प्रमाणित एवं आरोप संख्या 1,3,7,8 को प्रमाणित नहीं होना स्वीकार किया है। जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी पर लगे आरोपो में कुछ को आंशिक एवं कुछ को पूर्णतः स्वीकार नही करने से अपीलार्थी को दिनांक 11.12.2015 से जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराकर अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार जहाजपुर के माध्यम से अपीलार्थी ने दिनांक 24.06.2016 को आरोपवार अभयावेदन प्रस्तुत किया एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 27.07.2016 को व्यक्तिगत सुनवाई कर दिनांक 09.08.2016 को दण्डादेश पारित कर अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए "कार्मिक की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (One increments Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के उक्त दण्डादेश को अपीलार्थी द्वारा जरिये विचाराधीन अपील चुनौती दी गई।

अपील दर्ज की जाकर अपचारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपचारी कार्मिक को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलार्थी ने अपील कथनों को दोहराते हुये कथन किया है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 09.08.2016 सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत निहित विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना पारित किया गया है महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को देखे बिना ही केवल मात्र जांच प्रतिवेदन से पूर्णतः असहमत होकर, असहमति के कारणों का अंकन नहीं कर निर्णय लिखा जाना विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर दण्डित किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। प्रकरण में जांच अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त जांच प्रतिवेदन से असहमत होकर जो निर्णय पारित किया गया है वह लघु शास्ति के अन्तर्गत आता है। इसके लिये राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–17 में वर्णित प्रक्रिया की पालना करनी होती है।

अपीलार्थी का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय में अपीलार्थी पर आरोप प्रमाणित होने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया। अपीलार्थी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सरपंच की शिकायत पर प्रारम्भ हुई है। अपीलार्थी द्वारा सरपंच के भाई जगदीश पुत्र गोरू बंजारा द्वारा वर्ष 2011 में सरकार भूमि पर अवैद्य खनन का प्रकरण तहसील जहाजपुर में दिनांक 18.11.2011 कों प्रस्तुत किये जाने पर स्थायी द्वेवषतावश रखने के कारण झूठी शिकायत कर उपखण्ड अधिकारी महोदय का आकस्मिक निरीक्षण रखकर षड्यंत्रपूर्वक आरोपित करने का प्रयास किया है। आरोप सं0 1,2,3 तो बनाये गये तथा शेष आरोप निरीक्षण प्रणाली से संधारण निरन्तर कार्य प्रकिया को प्रश्नगत किया जाकर आरोप सं0 4 से 9 निरीक्षण में कमी पाना जाहीर कर आरोप तैयार किये व तैयार करवाये गये जो कर्तव्य व कर्मचारी दो पदीय कर्तय्य, कार्य के प्रति निष्ठा सदाचार को आरोपो में जोड़ा गया। जबकि सामान्यतया कार्यालय व कर्मचारी के प्रदीय कार्य कानिरीक्षण वर्ष में एक बार करने का उदेश्य विधिसम्मत प्रतिस्थापित कार्य प्रकिया गतिविधियाँ का अनुसरण की अनुकुलता, जांचना तथा कमी भुल सुधार प्रकिया अनुसरण में शिथिलता सामने लाकर कर्मचारी या कार्यालय को भविष्य समय में कार्यसंचालन के प्रति उचित दिशा निर्देश देना है न कि सामान्य त्रुटि भूल, समयाभाव विलम्ब को अनुशासनिक कार्यवाही से संबंध करना है। उपखण्ड अधिकारी महोदय का दिनांक 21.01.2014 को किया गया आकस्मिक निरीक्षण बिना पूर्व सूचना का था तथा सरपंच की शिकायत का सत्यापन करना तथा सरपंच के दबाव का आभास शिकायत्त कर्ता को कराना आदि से प्रायोजित था। निरीक्षण प्रारूप मुद्रित छाया प्रति में और उससे पहले से प्रतिस्थापित बिन्दूओं पर सम्पादन व प्रकिया का हाल लिखा गया जिसमें पालनीय दिशा निर्देश है इस प्रतिवेदन पर मुझ आरोपी के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

उसी निरीक्षण दिनांक को करवाये गये जबकि यह प्रतिवेदन मुझे पालनार्थ प्राप्त ही नहीं हुआ। वक्त निरीक्षण ही सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करने पर कुछ पालना अपेक्षित की गई जो एक कार्य सुधार स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण हेतू निर्देशात्मक थी व आरोपीय नही थी। निरीक्षण प्रतिवेदन में अनियमनित्तता, कर्तव्य परायणता, दुराचरण जैसा कोई आक्षेप नही था जिससे विभागीय जांच अथवा अनुशासनिक कार्यवाही का आंधार बनाया जा सके। मानवीयता के मध्य आरोप नम्बर 4 से 9 दिशा निर्देश मे सुधारात्मक होकर निरस्त योग्य होकर केवल पालनीय मात्र है।

अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि वर्ष 2013 के अन्तिम चरण में राजस्थान विधान सभा के आम चुनाव निर्धारित हो चुके थे जिससे निर्वाचन कार्य माह अक्दुम्बर 2013 से ही प्रारम्भ हो चुका था तथा पटवार क्षेत्र मे आने वाले मतदान केन्द्र उसमे सम्मिलित मतदाता मतदान दलों की सुव्यवस्था, मतदाता सूची, पुनरीक्षण संशोधन, मतदाता पर्ची वितरण कार्य के साथ साथ तैयारी का उत्तरदायित्व भी क्षेत्र के पटवारी पर था। इसके अतिरिक्त मतदान केन्द्र सं0 216 का बूथ लेवल आफिसर भी नियुक्त कर रखा था। इस उत्तरदायित्व से परे उपखण्ड अधिकारी मांडलगढ़ द्वारा निर्वाचन कार्य सम्पादन हेतु लगाये जाने से उनके यहा उपस्थिति भी दी गई। ऐसी परिस्थिति मे मूल पद का कार्य प्रभावित हुआ तथा नियत समयावधि में सम्पादित नहीं होकर कुछ विलम्ब हुआ लेंकिन अनियमितता नहीं हुई ओर न ही किसी प्रकार की लापरवाही या अवेहलना की गई। कार्य मे सुधार, त्रृटि अवश्यभांवी है तो आरोपीय तथ्य के रूप में पर्याप्त नहीं होकर शम्य व नजरअंदाज योग्य है। अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप वास्तविकता से परे है व किसी भी रूप मे अनुशासनिक कार्यवाही के लिये उपयुक्त व पर्याप्त विधिक आधार नहीं रखते है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के संबंध में यह भी कथन किया कि आरोप सं0 9 के अलावा शेष सभी आरापे पदीय कर्तव्य से संबंधित है जिसमे प्रकिया अपनाई गई व अपनानी चाहिये उसकी समीक्षा निरीक्षण के दौरान करते हुये भविष्य में सुधार लाने व नियमित पालना करने के निर्देश सामान्यताः सभी उच्चाधिकारी प्रदान करते रहे है जिनमे कोई वित्तिय अनियमितता, गबन, अपहरण, हेराफेरी के दुष्प्रभाव हो तो वह अनुशासनिक कार्यवाही योग्य को छोड़कर) ठीक उसी प्रकार अपचारी कर्मचारी के कार्य कर्तव्यों, प्रकियाओं का निरीक्षण उपखण्ड अधिकारी महोदय ने दिनांक 21.01.2014 को फरमाया वे सभी कार्य सुधारात्मक की परिभाषा में आते है न कि अनुशासनिक कार्यवाही की परिभाषा में। निरीक्षण के आधार पर आरोप संस्थित करना न्यायपूर्ण नही है। निरीक्षणकर्ता अधिकारी ने अपने कार्यकाल में उनके क्षेत्राधिकार में निहित राजकीय कार्यालय, गिरदावर, पटवारीगण के कार्यों का निरीक्षण किया होगा, लेकिन अपचारी के अलावा निरीक्षण में पायी गई कमी के चलते एक भी पटवारी को आरोपित नहीं किया गया जबकि अपीलार्थी को इस निरीक्षण आधार पर आरोपित किया जा रहा है। यह न्यायोचित न होकर भेदभावपूर्ण प्रकिया है। पटवारी के पदीय कार्य के कारण किसी कार्य विशेष में निर्धारित समय सीमा में मामूली बढत या विलम्ब हो सकता है। यदि पक्षपात का दृष्टिकोण न रहा हो, और अपचारी को कार्य में लापरवाही का पूर्ववर्ती कार्यकाल में कभी कोई सूचना पत्र कारण बताओ नोटिस, अनुशासनिक कार्यवाही व चेतावनी आदि नही दिया गया जो अपचारी के आदतन व आचरण को प्रभावित करता हो। यह प्रथम व निरीक्षण द्वारा उत्पन्न की गई कार्यवाही है।

अन्त में अपचारी कर्मचारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि उक्त अपील में सारगर्भित तात्विक एवं विधिक बिन्दु निहित है व अपील पेश करने में हुये

Scanned with CamScanner

विलम्ब को क्षमा कर अपील को मियाद में शुमार कर गुणावगुणों के आधार पर निर्णित करने की प्रार्थना की है। उपरोक्त सम्पूर्ण परिस्थिति/सत्यता को दष्टिगत रखते हुये प्रकरण पर सद्भावना पूर्वक विचार कर जिला कलक्टर भीलवाड़ा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.08.2016 में अंकित कार्मिक की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (One increments Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड को निरस्त कर प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने की कृपा करावे।

जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा अपने पत्रांक एफ.1–18(1)()/विजां/2021/67519 दिनांक 27.05.2021 से प्रेषित टिप्पणी में अपीलार्थी की अपील में प्रस्तुत तथ्यों/कथनों अपने बचाव में प्रस्तुत करने से टिप्पणी किये जाने की आवश्यकता नहीं होना अंकित किया तथा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के तहत दिये गये आज्ञापालक प्रावधानों की पालना में ही दण्डादेश पारित किया जाना अंकित किया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा राजकीय आय को प्रतिमाह मिटिंग के समय जमा नहीं करवाना एवं मुख्यालय पर निवास नहीं करने एवं राजकार्य को समय पर सम्पादित नहीं कर राजकार्य के प्रति लापरवाही करने के कारण दोषी पाये जाने पर ही दण्डित किया गया है। अतः अपीलार्थी की प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे ताकि अपीलार्थी भविष्य में राजकीय कर्तव्यों मे सजग रहकर कार्य कर सके।

अपीलार्थी द्वारा सुनवाई दौरान व्यक्त कथनों एवं प्रस्तुत अपील व परिपेक्ष्य में जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया गया। अपचारी कार्मिक पर 9 आरोप लगाये गये थे जिसमे जांच अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार आरोप संख्या 1,3,7 व 8 को अप्रमाणित व आरोप संख्या 2, 4, 5 व 6 को आंशिक प्रमाणित व आरोप संख्या 9 का आरोप ही गलत होना अंकित किया है।. जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपचारी कार्मिक को दोषी मानते हुये दण्डित किया है जो सही व उचित है।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा जांच अधिकारी की प्रस्तुत जांच से असहमत होने के कारण तथा कार्मिक द्वारा राजकीय आय को प्रतिमाह मिटिंग के समय जमा नहीं करवाना एवं मुख्यालय पर निवास नहीं करने एवं राजकार्य को समय पर सम्पादित नहीं कर राजकार्य के प्रति लापरवाही करने के कारण कार्मिक की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर दण्डित किया गया। पत्रावली अनुसार कार्मिक पर 9 आरोप आरोपित किये गये जिसमें जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में आरोप संख्या 1,3,7 व 8 को अप्रमाणित व आरोप संख्या 2, 4, 5 व 6 को आंशिक प्रमाणित व आरोप संख्या 9 का आरोप ही गलत होना अंकित किया है। चूकि अनुशासनिक अधिकारी ने भी अपने निर्णय में ऐसी स्थिति/परिस्थिति एवं निष्कर्ष का वर्णन नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि जांच प्रतिवेदन से किन कारणो से असहमत है। अनुशासनिक कार्यवाही के लिये उपयुक्त व पर्याप्त विधिक आधार भी उनके द्वारा निर्णय में स्पष्ट नहीं किये गये है। केवल मात्र दण्ड देने के उद्वेश्य से ही दण्ड नहीं दिया जा सकता है जबकि आरोपो में किसी प्रकार की सत्यता उजागर ना हो। उच्चाधिकारियों के निरीक्षण में अधीनस्थ कार्मिको के प्रति गंभीर अनियमितताओं में सीधे ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है किन्तु सामान्यत निरीक्षण में कार्मिको को मार्गदर्शन व नवाचार सिखाया जा सकता है। अपीलार्थी के द्वारा

Scanned with CamScanner

जानबूझकर राजकार्य में कोई लापरवाही किये जाने अथवा आदेशों की अवहेलना किये जाने के तथ्य भी हमारे समक्ष मौजूद नहीं है ओर जांच प्रतिवेदन में भी आरोपो का प्रमाणीकरण नहीं हो सका है।

जांच अधिकारी की रिपोर्ट में आरोप संख्या 1,3,7 व 8 को अप्रमाणित व आरोप संख्या 2, 4, 5 व 6 को आंशिक प्रमाणित व आरोप संख्या 9 का आरोप ही गलत होना अंकित किया गया है और. जांच अधिकारी की इसी रिपोर्ट के आधार पर ही जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपचारी कार्मिक को दोषी मानते हुये दण्डित किया है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि अपचारी कार्मिक के खिलाफ लगाये गये आरोप याह तो पूर्णतया सिद्ध होते है अथवा पूर्णतः असिद्ध अर्थात सिद्ध नहीं होते है। आंशिक आरोप सिद्ध होने का विधि में कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कार्मिक (क–3) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.9(2)(1)कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 22.11.2001 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।

अतएव प्रकरण में अपीलार्थी को जारी आरोप पत्र पर अपीलार्थी द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान व्यक्त कथनों एवं जबाब से सहमत होते हुये मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि अपचारी कार्मिक को अपीलाधीन दण्डादेश से दिया गया दण्ड केवल जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट से अनुशासनिक अधिकारी द्वारा असहमति व्यक्त करते हुये आरोप प्रमाणित नहीं होने के बाबजूद भी दण्ड दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है जो कि विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य होने से न्यायहित मे स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर भीलवाड़ा के दण्डादेश क्रमांक प.1ख18(1)(05)/भू.अ.विजां/2014/71534–44 दिनांक 09.08.2016 जिसमे कार्मिक की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव (One increments Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के प्रतिकूल एवं विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है।

Scanned with CamScanner